ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चतारा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति नीलम ठाकुर	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विष्णु दत्त	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चतारा के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4 (ग)	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर	0.17
2)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	34
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.41
4)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष [illegible] जमा न करवाना	0.04
5)	8.1	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों [illegible] नियमानुसार स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.07
6)	8.2	MGNREGA funds से प्राप्त राशि के निर्मा[illegible] कार्यों की रुकावट / अवरोधन बारे	14.59
7)	8.7	लोक संपर्क विभाग हि० प्र० के माध्यम क[illegible] अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में छपवा[illegible] गये विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतानों से 15 %[illegible] कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्[illegible] की वितीय हानि बारे	0.01

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

<u>1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2017 से 31/03/2019 त[illegible]</u>

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभिय[illegible] के दौरान निर्णीत
2.	पैरा-4 (क, ख,	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभिय[illegible] के दौरान निर्णीत

	ग,घ,ड़.)		
3.	पैरा-5	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
4.	पैरा-6	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
5.	पैरा-7(क)(ख)	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
6.	पैरा-8	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
7.	पैरा-9	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
8.	पैरा-10	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
9.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-12	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
11.	पैरा-13	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
12.	पैरा-14	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
13.	पैरा-15	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
14.	पैरा-16	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
15.	पैरा-17	निर्णीत।	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री जीवन कुमार अनुभाग अधिकारी दिनांक 24.6.2025 से 28.6.2025 तक ग्राम पंचायत चतारा के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	12/2024	05/2024

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत चतारा के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 73/2025 दिनांक 28.6.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया है।

4(क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत चतारा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6[illegible](I)/2025 दिनांक 26.6.2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 4/24 से 3/25 तक के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **संलग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान स्व स्रोत व अनुदान (समेकित),15वां वित्तायोग (online) व मनरेगा (Online), रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया गया था |

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	3463291.47	5711971.43	9175262.9	5779845.43	3395417.47

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चतारा के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों का अंतशेष रहा :-

1	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	3395417.47
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	3412580.47
3	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	787.00
4	**योग (2+3)**	3413367.47
5	**अन्तर (4-1)**	**17,950**

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.18 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7([illegible]) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹17,950.00** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 69(I)/2025 दिनांक 28.06.2025 जिसके सन्दर्भ में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/20(III) दिनांक 28.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उपरोक्त अन्तर को रोकड़ बही व बैंक के साथ मिलान करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: उक्त राशि के अन्तर के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61(I)/2025 दिनांक 26.06.2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/20(I) दिनांक 28.06.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹34.00 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61(I)/2025 दिनांक 26.06.2025 के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न हैं के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹339[illegible]417.47** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61(I)/2025 दिनांक 26.06.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/Chatara/20(I) दिनांक 28.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा । अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61(I)/2025 दिनांक 26.06.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/Chatara/20(I) दिनांक 28.06.2025 द्वारा अवगत करवाया

गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.42 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61(I)/2025 दिनांक 26.06.2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/Chatara/20(I) दिनांक 28.06.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹41800 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	50650	50650	101300	59500	41800

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे

समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार ₹4000** की वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	4000

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61/2025 दिनांक 2[illegible]6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/20 दिनांक 28.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. <u>व्यय :</u>

8.1 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/2[illegible]-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹25000[illegible] से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना

अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में **(परिशिष्ट घ अनुसार)** सामग्री की आपूर्ति के लिए **₹348596.00** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मासों के दौरान स्त्रोत पर **₹6972** की जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम सं.	**वाउचर संख्या व् दिनांक**	**फर्म व् व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**मूल राशी (without GST)**	**GST/TDS@ 2% की कटोती योग्य राशि**
1	144/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1500 ft W/SAND	40725	814.5
2	151/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1400 ft W/SAND	38010	760.2
3	151/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	300ft 20mm	6717	134.34
4	152/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	2000ft 20mm	44780	895.6
5	153/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	200ft 20mm	4478	89.56
6	153/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1000 ft 40mm	22390	447.8
7	154/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1100 ft 40mm	24629	492.58
8	145/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1500 ft w/sand	40725	814.5
9	146/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1000 ft w/sand	27150	543

10	147/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	100ft w/sand	2715		54.3
11	147/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1000 ft 20mm	2239		447.8
12	148/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1400ft 20mm	3134		626.92
13	148/28.03.2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1900ft 40mm	4254		850.82
			TOTAL	**3485[illegible]6**		**6972**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72/2025 दिनांक 28.06.2025 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GP/Chatara/20 दिनांक 28.06.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹6972**जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 MGNREGA के निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹14.59 लाख के रुकावट / अवरोधन बारे :-

अंकेक्षण में चयनित माह के भुगतान वाउचरो के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के कार्यों हेतु मई 2024 में सामग्री लेने हेतु **₹ 14593[illegible].00** का भुगतान किया गया, जिसका विवरण **(परिशिष्ट ड०)** दिया गया है। परन्तु अंकेक्षण की दिनांक तक उक्त कार्यों की शुरुआत नहीं की गई है। लगभग एक वर्ष व्यतीत जाने पर भी उक्त कार्यों को अंकेक्षण दिनांक तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में चर्चा में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों हेतु किसी प्रकार की कोई भी कानूनी व अन्य किसी भी सरकारी विभाग द्वारा रुकावट व स्टे हेतु आदेश नहीं है।

MGNREGA

Sr No.	Voucher No. / month	Name of work	Total amount (₹)
1	108/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	42,762
2	109/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	45,964
3	110/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	47,019
4	111/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	28,212
5	112/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	25,861
6	92/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	49,950
7	93/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	49,950
8	94/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	49,085
9	95/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	49,693
10	96/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	48,150
11	97/05/2025	C/o Path, causeway / culvert	44,670

		Mohalla Haler	
12	118/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	71,596
13	119/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	71,576
14	120/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	71,596
15	121/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	53,597
16	104/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	71,596
17	113/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	42,[illegible]62
18	114/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	28,5[illegible]8
19	115/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	26,3[illegible]
20	116/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	32,9[illegible]
21	117/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	44,6[illegible]9
22	105/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	71,596
23	106/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	71,596
24	107/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	35,798

25	98/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	47,925
26	99/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	49,275
27	100/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	49,025
28	101/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	49,850
29	102/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	48,650
30	103/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	39,045
		Total	**1459351**

ग्राम पंचायत इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62/2025 दिनांक 26.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/12 दिनांक 28.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करवा दिया जाएगा और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: ग्राम पंचायत द्वारा दिया उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा सरकार द्वारा दिए गए लाखों की राशि का अवरोधन कर और लोग निर्माण के कार्यों को लगभग एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है जो एक अति गम्भीर मामला व लापरवाही है। अत: उपरोक्त वर्णित विषय पाई गई गम्भीर अनियमितताओं बारे अत: यह मामला पंचायत्ती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि उपरोक्त मामले बारे उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए और जाँच उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु अपनाई जा रही निविदा प्रणाली में गम्भीर आपत्तियां पाई जाना : -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रबंधित है। उपरोक्त अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाओं को आमंत्रित करने में प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों का पालन ढंग से नहीं किया जा रहा है। ग्राम प्रांचायत चतारा द्वारा निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों की पालन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं नहीं किया गया है, जैसे कि शर्तों व नियमों में स्पष्ट लिखा है कि आपूर्तिकर्ता / फर्म व सेवप्रदाता के पास GST नंबर अनिवार्य है, बिना GST के निविदा मान्य नहीं है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाएं प्राप्ति के समय इन नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाओं पर कोई भी पत्र संख्या / reference number व दिनांक कोई भी न वर्णन करना, निविदा भेजने वाले का पूरा नाम व पत्ता नहीं होना, निविदाओं को प्राप्त करने उपरान्त comparative statement न तैयार नहीं किया गया है, फ़र्म के बिना लेटर हैड / अधूरी सूचना / गलत GST नंबर का लिखा जाना इत्यादि पाया गया है। अत: इस प्रकार नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की सम्भावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण में चयनित माह के भुगतान वाउचरों के अवलोकन पर स्टोर / निर्माण कार्यों हेतु ली गई निविदाओं में गम्भीर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं :-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2024-25 निर्माण कार्यों हेतु विज्ञापन दिनांक 1[illegible]2024 को दो समाचार पत्रों में दिया गया था और विज्ञापन में मुख्य शर्तों अनुसार फर्मों के पास GST number होना जरूरी है परन्तु प्राप्त की गई निविदाओं में या तो कोई GST number अंकित ही नहीं है या फिर GST number गलत वर्णित किया गया है, उदाहरणते:- निर्माण सामग्री हेतु M/s Pawan kumar को चयनित किया गया है परन्तु फ़र्म द्वारा न तो GST number अंकित किया गया है और

यह निविदा कौरे कागज पर हाथ से लिखी हुई निविदा है, और इसी तरह इस कार्यों हेतु बाकी फर्मों के ने भी कोई GST number अंकित नहीं किया गया, और प्रथम दृष्टि (Prima facie) में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अन्य निविदा M/s Vinay Kumar और M/s Darshan Singh की निविदा भी एक ही hand writing में लिखें गए हों।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा concrete बैंच हेतु निविदाएं हाथों हाथ आमंत्रित की गई और सबसे कम निविदा M/s Sunil Kumar Painter को चयनित किया गया परन्तु उनका GST number **GOWPK5856L** को GST की official website पर सही नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त supply के बिलों में न तो GST HSN code वर्णित है और न तो उक्त आपूर्ति हेतु e way बिल अभिलेख में स्लंगित पाया गया।

(ग) MGNREGA के निधि के चयनित माह के क्रय वाउचरो के अवलोकन पर पाया गया कि M/s Hari Singh & Sons Una को निर्माण कार्य के सामग्री हेतु चयनित किया गया, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष में लाखों रूपये की निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गयी, परन्तु इसका चयन भी हाथों हाथ ली गई निविदाओं लेने उपरान्त किया गया है, जो कि उपरोक्त नियमों अवहेलना करना दर्शाता है। अत: इस प्रकार नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की सम्भावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65 /2025 दिनांक 26.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/15 दिनांक 28.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों ही किया जाएगा। यह संतोषजनक उत्तर नहीं है अत: उपरोक्त वर्णित विषय पाई गई गम्भीर अनियमितताओं बारे अत: यह मामला पंचायत्ती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि उपरोक्त मामले में उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए और जाँच उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.4 निर्माण कार्य हेतु सामग्री की ढुलाई हेतु ₹ 0.05 लाख का अधिक भुगतान बारे।

चयनित माह के भुगतान वाउचरो के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पुराने रास्ते पर paver टाइल्स लगाने हेतु, dismantle की गई सामग्री को रखने हेतु लगभग ₹4500 का अधिक भुगतान किया गया है। परन्तु मापन पुस्तिका संख्या 19630 के पृष्ठ संख्या 38-39 के

अवलोकन पर पाया गया कि dismantle की गई पुराने सड़क की मात्रा से अधिक ट्राली द्वारा फेंका गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Name of work	Dismantling qty (in CFT)	Carriage material shown in MB	Rates per trolley	Total Amt claimed	Actual as per audit	Difference in (₹)
Repair of drain and path Radha Krishan Mandir to Mahadev Road	11.2cum =395 CFT	13 trip	500	6500	2000	4500
					Total	**4500**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 71 /2025 दिनांक 26.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/19 दिनांक 28.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि प्रति दिन मेटेरियल को दूर फेंकना जरूरी था, दिया गया प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाना सुनिश्चित करें और कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

8.5 क्रय वाउचरो के लिए नगद भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते] नियम 2002 के नियम 17 के अनुसार ग्राम पंचायत नगद एक हजार से ऊपर के भुगतान को नगद भुगतान नहीं कर सकते हैं। ग्रांम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि का नगद भुगतान किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	वाउचर संख्या	दिनांक	कुल किया गया भुगतान (₹)	निधि का नाम
1	Own/2024-25/17	31.5.2024	1900	Own Fund
2	Own/2024-25/18	30.9.2024	2950	Own Fund
3	Own/2024-25/23	30.11.2024	3365	Own Fund
4	Own/2024-25/32	31.01.2025	2740	Own Fund

5	Own/2024-25/45	31.3.2025	1660	Own Fund
6	Own/2024-25/46	31.3.2025	1200	Own Fund

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65 /2025 दिनांक 26.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/14 दिनांक 26.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों की अनुपालना की जाएगी। यह संतोषजनक उत्तर नहीं है। अत: नगद किए गए अनियमित भुगतान पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.6 लोक सम्पर्क विभाग हि० प्र० के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में छपवाए गये विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतानों से 15 % कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व ₹0.01 लाख की वितीय हानि बारे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 2006/01-15 Pub 92-14263 दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1-PR-H (F)-4(APP)/2013 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड व कारपोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाए जाने आवश्यक हैं तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाए जाने की स्थिति में विज्ञापन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक -300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि जिला परिषद् द्वारा विज्ञापन छपवाने हेतु में अनुसार **₹5027** का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया था तथा यह राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यय नहीं की गयी थी, जोकि सरकार के उक्त निर्देशों के प्रतिकूल है जिसके कारण 15% की दर से कमीशन के रूप में **₹ 754** की हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से हानि हुई है। अतः 15% कमीशन के रूप में **₹ 754** की हिमाचल प्रदेश सरकार को हुई राजस्व हानि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या व् दिनांक	कार्य	बिल संख्या / दिनांक	विज्ञापन एजेंसी	बिल राशि	आपेक्षित 15% कमीशन
76 dt 12.09.2024	ग्राम पंचायत में विकास कार्य को करवाने हेतु निविदाये आमंत्रित करने बारे	24/D/003226 dt 19/06/2024	DIVYA HIMACHAL	3027	454
77 dt 12.09.2024	ग्राम पंचायत में विकास कार्य को करवाने हेतु निविदाये आमंत्रित करने बारे	JA-24-605125 dt 20/06/2024	DAINIK SAVERA	2000	300
			कुल योग	**5027**	**754**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 68/2025 दिनांक 2[illegible].6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/16 दिनांक 28.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में विज्ञापनों हेतु भुगतान लोक सम्पर्क विभाग द्वारा ही किया जाएगा। उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अम्ल लाई जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61(II)/2025 दिनांक 28.06.2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Chatara/20(II) दिनांक 28.6.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा

रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
12	बिल रजिस्टर	13	48

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61(I)/2025 दिनांक 28.06.2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 106(II) दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते)

नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

12 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

21.8.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

22 AUG 2025

5493- 5497

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)57/2019-खण्ड-1 दिनाँक, शिमला-09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 AUG 2025

21.8.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

परिशिष्ट "क"　　　　पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3463291.47	5711971.43	9175262.9	5779845.43	3395417.47

सचिव,
ग्राम पंचायत, चताड़ा
वि.ख.व जिला ऊना (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3463291.47	2878814	6342105.47	2946688	3395417.47

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2782490.47	2181232	4963722.47	2910185	2053537.47

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	680801	697582	1378383	36503	1341880

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	2833157.43	2833157.43	2833157.43	0

सचिव,
ग्राम पंचायत, चताड़ा
वि.ख.व जिला ऊना (हि०प्र०)

22

परिशिष्ट क-1

Gram Panchayat Chattara, Block Una

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	K.C.C.B. BEHDALA - GIA/Own	20013012504	2,061,318.47
	K.C.C.B. BEHDALA - GIA (IAY)	50051878494	8,903.00
	K.C.C.B. BEHDALA - GIA (MMGPY)	50065669791	235.00
	K.C.C.B. BEHDALA - GIA (RAY)	50065669804	238.00
	K.C.C.B. BEHDALA - GIA	50065669780	6.00
	H.D.F.C. BANK UNA - 15TH	50100348181647	1,341,880.00
		योग	**3412580.47**
2		हस्तगत राशि (स्व: स्रोत व अनुदान)	787
		योग (1+2)	**3413367.47**

सचिव,
ग्राम पंचायत, चताड़ा
वि.ख.व जिला ऊना (हि०प्र०)

23

परिशिष्ट "ख" 7 पैरा संख्या में संदर्भित

ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड ऊना , जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	50650	50650	101300	59500	41800

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है |

सचिव,
ग्राम पंचायत, चताड़ा
वि.ख.व जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट "ठ" पैरा संख्या ~~10~~ 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चतारा , विकास खण्ड ऊना , जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

क्रम सं.	नाम	विवाह की तारीख	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु बकाया राशि
1	Abhishek Thakur	7-3-2024	5-4-2024	175599	400=00	400=00	Nil
2	Harish Kumar	11-7-2024	23-8-2024	175616	400=00	400=00	Nil
3	Paramjeet Singh	8-3-2024	24-10-2024	175641	400=00	400=00	Nil
4	Ajay Kumar	6-10-2024	1-11-2024	175642	200=00	200=00	Nil
5	Sanjeev Kumar	10-11-2024	2-12-2024	175649	200=00	200=00	Nil
6	Vipan Kumar	10-11-2024	5-12-2024	175651	200=00	200=00	Nil
7	Sukhwinder	18-11-2024	9-12-2024	175653	200=00	200=00	Nil
8	Jatin Rana	21-1-2025	24-1-2025	175666	400=00	400=00	Nil
9	Haneef Mohammad	12-12-2024	24-1-2025	175662	400	400=00	Nil
10	Rishabh Thakur	21-1-2025	1-2-2025	175664	200=00	200=00	Nil
11	Manish Kumar	19-1-2025	27-2-2025	175671	400=00	400=00	Nil
12	Gaurav Sharda	14-2-2025	1-3-2025	175673	200=00	200=00	Nil
13	Praveen Kumar	21-2-2025	13-3-2025	175679	200=00	200=00	Nil
14	Veer Singh	25-2-2025	18-3-2025	175681	200=00	200=00	Nil
	Total				4000=00	4000=00	Nil

सचिव,
ग्राम पंचायत, चताड़ा
वि.ख.व जिला ऊना (हि०प्र०)

25

परिशिष्ट " छ " पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न बारे

क्रम सं.	वाउचर संख्या व् दिनांक	फर्म व् व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	मूल राशी (without GST)	GST/TDS@ 2% की कटोती योग्य राशि
1	144/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1500 ft W/SAND	40725	814.5
2	151/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1400 ft W/SAND	38010	760.2
3	151/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	300ft 20mm	6717	134.34
4	152/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	2000ft 20mm	44780	895.6
5	153/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	200ft 20mm	4478	89.56
6	153/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1000 ft 40mm	22390	447.8
7	154/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1100 ft 40mm	24629	492.58
8	145/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1500 ft w/sand	40725	814.5
9	146/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1000 ft w/sand	27150	543
10	147/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	100ft w/sand	2715	54.3
11	147/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1000 ft 20mm	22390	447.8
12	148/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1400ft 20mm	31346	626.92
13	148/28-03-2024	JAI MATA SHEETLA CO.	1900ft 40mm	42541	850.82
			TOTAL	**348596**	**6972**

सचिव,
ग्राम पंचायत, चताड़ा
वि.ख. व जिला ऊना (हि०प्र०)

26

परिशिष्ट "उ." पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चतारा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 MGNREGA अनुदान से प्राप्त रु 14.59/- के निर्माण कार्यों की रुकावट / अवरोधन बारे

Sr No.	Voucher No. / month	Name of work	Total amount
1	108/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	42,762
2	109/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	45,964
3	110/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	47,019
4	111/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	28,212
5	112/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	25,861
6	92/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	49,950
7	93/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	49,950
8	94/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	49,085
9	95/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	49,693
10	96/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	48,150
11	97/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	44,670
12	118/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	71,596
13	119/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	71,576
14	120/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	71,596
15	[illegible]	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Haler	[illegible]
16	104/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	71,596
17	113/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	42,762
18	114/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	28,508
19	115/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	26,361

सचिव,
ग्राम पंचायत, चताड़ा
वि.ख.व जिला ऊना (हि०प्र०).

20	116/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	32,914
21	117/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	44,669
22	105/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	71,596
23	106/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	71,596
24	107/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	35,798
25	98/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	47,925
26	99/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	49,275
27	100/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	49,025
28	101/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	49,850
29	102/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	48,650
30	103/05/2025	C/o Path, causeway / culvert Mohalla Lavana	39,045
		Total	14,59,351

सचिव,
ग्राम पंचायत, चताड़ा
वि.ख.व जिला ऊना (हि०प्र०)

28